

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास के उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम	नाम कार्मिक व पदस्थान स्थान राजमावि(सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री)	अवधि	स्थान व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है ।
01	02	03	04
01	हनुमान सिंह खीचड़, वाणिज्य राजमावि, तारानगर-चूरू	माह जून 2018 से जुलाई 2018 तक	राजमावि तारानगर-चूरू में व्या० कृषि विज्ञान के पद विरुद्ध ।
02	रीना सोनी, व्या० इतिहास, राजमावि पुराना भवन-सिरोही	माह जून 2018	राजमावि पुराना भवन-सिरोही में व्या० चित्रकला के पद विरुद्ध ।
03	राजवीर सिंह, व्या० इतिहास राजमावि सुल्ताना-झुंझुनूं	माह जून 2018 से जुलाई 2018 तक	राजमावि जखोड़ा-झुंझुनूं से रसायन विज्ञान के पद विरुद्ध ।

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावें ।

23/8/18
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वेतन-व्यवस्था/31825/18

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ-

1. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा-चूरू
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक- हनुमानगढ़
3. सम्बन्धित शाला/संस्था/कार्मिक
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. निजी/रक्षित पत्रावली

दिनांक:- 23/8/18

23/8/18
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर